राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3) विभाग

क्रमांक प.3;(1)कार्मिक/क–3/85 जयपुर दिनांक 30.6.2003

समस्त प्रमुख शासन सचिव/सचिवगण
समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टर्स सहित)

परिपत्र

आपका ध्यान इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 8–11–2002 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके द्वारा अकाल राहत कार्यों में अनियमितता व भ्रष्ट आचरण करने वाले राजकर्मियों के विरूद्ध तुरंत अनुशासनात्मक कार्यवाही कर दण्डित करने के उद्धेश्य से राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 15 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समस्त जिला कलेक्टर्स को उक्त नियमों के नियम 17 के अन्तर्गत राज्य स्तरीय सेवाओं (जिला स्तर तक के) के अधिकारीगण, अधीनस्थ सेवाओं के अधिकारी कर्मचारीगण/मंत्रालयिक सेवाओं व चतुर्थ श्रेणी सेवा के सदस्यों के विरूद्ध विभागीय जांच सम्पादित करने व तदनुसार दण्डादेश जारी करने हेतु सशक्त किया गया था जो 31–7–2003 तक ही प्रभावित रहेगा।

इस संबंध में यह देखने में आया है कि कतिपय मामलों में जिला कलेक्टर तथा जिले के अन्य अधिकारीगण अपने क्षेत्राधिकारी से बाहर जाकर उक्त सेवाओं के सदस्यों को निलम्बित भी कर देते हैं। आपके ध्यान में पुनः यह लाया जाता है कि कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 9–11–2002 के द्वारा जिला कलेक्टर्स को अन्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध सीसीए नियमों के नियम 17 के अन्तर्गत ही कार्यवाही करने की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं जो 31–7–2003 तक ही प्रभावित रहेंगी। सीसीए नियमों के अन्तर्गत उन्हीं मामलों में अधिकारियों/कर्मचारियों का निलम्बन किया जाता है जिनके विरूद्ध इन नियमों के नियम 16 के अन्तर्गत वृहद् शास्ति हेतु कार्यवाही अपेक्षित है। इस प्रकार जिला कलेक्टर्स एवं जिले के अन्य अधिकारियों जैसे उप खण्ड अधिकारी आदि द्वारा किसी अधिकारी या कर्मचारी का निलम्बन नियम विरूद्ध है। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ गम्भीर आरोप पाये जाते हैं तो उसके विरूद्ध सीसीए नियमों के नियम 16 के अनतर्गत कार्यवाही सम्पादित करने तथा यदि उस अधिकारी/कर्मचारी को निलम्बित किया जाना आवश्यक समझा जाय तो इस हेतु नियमानुसार प्रकरण सक्षम अनुशासनिक अधिकारी के पास भेजना चाहिये। यह ध्यान में रहे कि राज्य स्तरीय सेवाओं के अधिकारीगण के निलम्बन के लिये राज्य सरकार (कार्मिक विभाग) ही सक्षम है।

अतः सभी संबंधित को व्यादिष्ट किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित प्रकिया की पूर्ण रूप से पालना सुनिश्चित करें।

30/6/03

(आर.के.नायर)
मुख्य सचिव